

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
सकारण आदेश

संख्या-1/स्था0 (8) 22/2020-4964/पटना-15, दिनांक-11/7/2026

माननीय उच्च न्यायालय, पटना सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-9769/2026 (डॉ0 बिनोद कुमार मुक्ता बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) मामले में दिनांक-07.07.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में डॉ0 बिनोद कुमार मुक्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर उपलब्ध अभिलेखों, विभागीय अधिसूचनाओं, प्रचलित नियमों एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के आलोक में विचार किया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-07.07.2026 को पारित न्यायादेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"5. In the light of the submissions made, this Court without entering into merits or demerits of the case, directs the petitioner to file fresh representation intimating all the points which he has raised in the writ petition before respondent No.2, the Secretary, Department of Animal and Fisheries, Patna within 30 days from today and respondent No.2, the Secretary, Department of Animal and Fisheries, Patna is directed to pass a reasoned and speaking order on the representation of the petitioner within 60 days thereafter.

6. Till taking decision on the representation, notification bearing Memo No. 01/est.(7)01/2026-3260 dated Patna High Court CWJC No.9769 of 2026 dt.07-07-2026 4/4 28/06/2026) shall become inoperative for the petitioner only."

3. डॉ0 मुक्ता द्वारा दिनांक-05.08.2026 को समर्पित अभ्यावेदन में किये गए अनुरोध निम्न है:-

1. Cancel order dated 28.06.2026 with respect to my transfer.
2. Hold that the petitioner was not eligible for transfer before completion of three years.
3. Consider and decide the petitioner's promotion from Level-9 to Level-11.
4. Pass a reasoned and speaking order in compliance with the High Court's order.
5. Grant any other appropriate relief.

48

4. अभिलेखों से स्पष्ट है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-3260 दिनांक-28.06.2026 द्वारा याचिकाकर्ता को प्रशासनिक आवश्यकता एवं विभागीय हित में उनके मूल संवर्गीय पद पर पदस्थापित किया गया है। स्थानान्तरण एवं पदस्थापन सेवा का एक सामान्य प्रशासनिक विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Union Of India Vs. S.L. Abbas, (1993) 4 SCC 357 तथा State of U.P Vs. Gobardhan Lal, (2004) 11 SCC 402 में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्थानान्तरण नियोक्ता का विशेषाधिकार है तथा न्यायालय अथवा कर्मचारी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं।

साथ ही बिहार सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक आवश्यकता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है। अतः मात्र तीन वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होने के आधार पर स्थानान्तरण आदेश स्वतः अवैध नहीं हो जाता है।

5. अभिलेखों से ज्ञात होता है कि जून, 2026 की स्थानान्तरण-पदस्थापन प्रक्रिया में विभाग द्वारा व्यापक प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था की गयी थी, जिसके अन्तर्गत अनेक पदाधिकारियों को उनके मूल संवर्गीय पदों पर पदस्थापित किया गया। ऐसी स्थिति में तीन वर्ष की अवधि संबंधी प्रावधान को पूर्णतः अनिवार्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि स्थानान्तरण नीति केवल प्रशासनिक मार्गदर्शक है, इससे कर्मचारी के पक्ष में कोई वैधानिक अधिकार सृजित नहीं होता है।

6. सामान्य प्रशासन विभागीय अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023 के अनुसार उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जा सकता है। उक्त व्यवस्था नियमित प्रोन्नति नहीं है तथा इससे उच्चतर पद पर स्थायी नियुक्ति अथवा प्रोन्नति का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

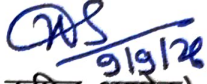
सेवा विधि का स्थापित सिद्धांत है कि कार्यकारी प्रभार या उच्चतर पद पर कार्य करने मात्र से नियमित प्रोन्नति का अधिकार अर्जित नहीं होता, जब तक कि संबंधित सेवा नियमों के अधीन विधिवत् प्रोन्नति न की जाय।

याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई नियम, अधिसूचना अथवा आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो की उन्हें वेतन स्तर-11 पर नियमित प्रोन्नति का वैधानिक अधिकार प्राप्त हो चुका है।

7. अभिलेखों के परीक्षण से यह परिलक्षित नहीं होता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-3260, दिनांक-28.06.2026 किसी विधिक प्रावधान, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अथवा विभागीय नीति के प्रतिकूल जारी की गयी है। न ही याचिकाकर्ता द्वारा कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे उक्त अधिसूचना में संशोधन अथवा निरस्तीकरण का औचित्य सिद्ध हो।

8. उपरोक्त तथ्यों, उपलब्ध अभिलेखों, विभागीय दिशा-निर्देशों, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक-13.10.2023, स्थानान्तरण संबंधी प्रचलित नीतियों तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक-07.07.2026 के आलोक में यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन में ऐसा कोई विधिसम्मत अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं है, जिसके कारण विभागीय अधिसूचना संख्या-3260, दिनांक-28.06.2026 में हस्तक्षेप किया जाय।

अतः डा० विनोद कुमार मुक्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-3260, दिनांक-28.06.2026 का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया जाता है।


(शीर्षत कपिल अशोक)

सचिव।

ज्ञापांक :-1/स्था० (8) 22/2020-4964/पटना-15, दिनांक- 11/9/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया जी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-05, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/डॉ० विनोद कुमार मुक्ता, तदेन कनीय सहायक शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना सम्प्रति स्थानांतरित भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, कोंच, गया जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


9/9/26
सचिव।